न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 991/2017

1. दाऊद खां पुत्र रमजान खां
2. बाबू खां पुत्र रमजान खां
3. मुमताज खां पुत्र रमजान खां
4. लालू खां पुत्र रमजान खां
5. जम्मा खां रमजान खां
6. सुलतान खां रमजान खां
7. सलीम पुत्र रमजान खां
8. सगीर पुत्र रमजान खां
9. जरीना पुत्री रमजान खां
10. सबीरा बेवा रमजान खां
11. फरीदा बानों पुत्री यासीन खां
12. निजाम खां पुत्र यासीन खां
13. इनुश खां पुत्र यासीन खां
14. वसीम खां पुत्र यासीन खां
15. अमीन खां मुंशी खां
16. अजमेरी खां पुत्र मुंशी खां
17. सरीफ खां पुत्र मुंशी खां
18. हनीफ खां पुत्री मुंशी खां
19. गुलशन खां पुत्री मुंशी खां

समस्त जाति मुसलमान जरिये मुख्त्यारनामा दाऊद खां पुत्र रमजान खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ढाणी म्याउवाल तन अमाई, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

– अपीलान्ट्स–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट् –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री शिवसिंह चौधरी अपीलांट्स की ओर से।

2– श्री जी.एल.मीणा राजकीय अधिवक्ता।

:– निर्णय :– दिनांक :–29.06.2018

हैक्टै0, 378 रकबा 0.01 हैक्टै0, 379 रकबा 0.52 हैक्टै0, 380 रकबा 1.12 हैक्टै0 व 415 रकबा 0.41 हैक्टै0 कुल किता 5 रकबा 2.38 हैक्टै0 साबिक खसरा नम्बर 242 रकबा 6 बिस्वा, 260 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 280 रकबा 7 बीघा कुल किता 3 रकबा 9 बीघा से हाल भू प्रबन्ध के दौरान बनाये गये है। बजमाना जागीर सम्वत 1982 व 2005 की खतौनी/मिसल हकियत व जमाबन्दी सम्वत 2025, 2028 के अनुसार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ननचाशाह वल्द तोफिक शाह हिस्सा 1/2, कादमा, रमजान, चान्दू, ईमामुद्दीन पि0 नूरशाह हिस्सा 1/2 बहिस्सा बराबर कौम फकीर सा. देह काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने सजरा खानदान पेश कर जाहिर किया कि ननचा खां नाऔलाद फौत हो गया। कादमा उर्फ ईदू खां, चान्दू उर्फ चान्द खां व ईमाद्दीन नाऔलाद फौत हो गये। वादीगण का पिता रमजान खां के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। मुख्य तर्क रहा कि हाल भू–प्रबन्ध के दौरान सम्वत 2037 में भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने वादीगण को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना वादीगण की उक्त सम्पूर्ण पैतृक खातेदारी की भूमि में खातेदारी अधिकार लोपित कर माफी भोमिया जी महाराज के नाम खातेदारी अंकित कर दी गई। मौके पर ना कोई मन्दिर भोमिया जी है न आराजी पूर्व में माफी मन्दिर भोमिया जी के खातेदारी में रही है। भू–प्रबन्ध विभाग को रिकॉर्डेड खातेदारी में परिवर्तन/समाप्त कर माफी मन्दिर भोमिया जी महाराज देह खातेदार दर्ज करने का अधिकार सक्षम न्यायालय की डिक्री व आदेश के अभाव में नहीं है। इसलिए भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही वादीगण के हितों के विरूद्ध प्रारम्भ से अवैध व प्रभाव शून्य है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम भूमि वादग्रस्त की खातेदारी दुरूस्त की जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य गलत है। वादग्रस्त भूमि मिसल सम्वत 1982, 2005 व मिसल सम्वत 2037 में माफी मन्दिर के नाम रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। आराजी कभी वादीगण के नाम नहीं रही। संम्वत् 2037 में खाता संख्या 115 में भूमि माफी मन्दिर श्री भोमिया जी महाराज विराजमान देह खातेदार अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड से यह अच्छी तरह साबित है कि वाद पत्र की आराजी लगातार माफी मन्दिर के नाम रही है। वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः कानून अनुसार मन्दिर माफी की खातेदारी का अधिकार किसी को नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज फरमाने की कृपा करें। उभय पक्षकारों के लिखित अभिकथनों के आधारों पर निम्न तनकियात कायम की गई :–

तनकी नम्बर 1– आया आराजी मुतदाविया के पूर्व काश्तकार खातेदार वादीगण के बुजुर्गान थे और वादीगण राजस्व रिकॉर्ड से माफी मन्दिर भोमिया जी का नाम हटवाकर खातेदारी घोषित होने के अधिकारी है।

–वादीगण–

तनकी नम्बर 2– आया मौके पर न कोई मन्दिर भोमिया जी है ना आराजी कभी माफी मन्दिर भोमिया

तनकी नम्बर 4– आया आराजी कभी भी वादीगण के नाम नहीं रही। वादीगण किसी प्रकार का अनतोष पाने के अधिकारी नहीं है।

–प्रतिवादी–

तनकी नम्बर 5– अनुतोष।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कियेः–

1. हाल जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068	एक्सपी 1
2. नोटिस धारा 80 सी.पी.सी.	एक्सपी 2
3. जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031	एक्सपी 3
4. जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028	एक्सपी 4
5. खेवट खतौनी सम्वत 2005	एक्सीपी 5
6. मिसल हलकियत सम्वत 1982	एक्सपी 6
7. मिलान क्षेत्रफल	एक्सपी 7
नकल खसरा गिरदावरी सं. 2011 से 2014	
नकल खसरा गिरदावरी सं. 2015 से 2018	एक्सपी 8
नकल खसरा गिरदावरी सं. 2019 से 2021	

वादीगण ने मौखिक साक्ष्य वादी संख्या 1 दाऊद खां, डालचन्द, सुल्तान खां पुत्र कल्लू खां आदि के बयान कलमबन्द करवाये।

प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किये गये। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुन कर वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2017 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि प्रश्नाधानी निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली विधि, विधान एवं पत्रावली के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय परवर्श, आरबिट्रेरी, कोन्ट्रेरी टू लॉ व प्रिजम्पशन पर आधारित होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात मिसल हकियत सम्वत 1982 ग्राम अमाई निजामत कोटपूतली इलाका खेतडी के खाता संख्या 34 के कॉलम संख्या 4 बिस्वेदार व अहवाल में वादीगण के पूर्वज नूरशाह व ननचा शाह पिसरान तोफिक शाह बहिस्सा बराबर दो तिहाई मुसमात पत्नी बेवा भूरा एक तिहाई कोम फकीर मुसलमान साकिन देह व कॉलम संख्या 5 नाम काश्तकार में "खुदकाश्त" कॉलम 8 बन्दोबस्त हाल खसरा नम्बर 149 रकबा 3 बिस्वा, 150 रकबा 5 बिस्वा, 158 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 177 रकबा 0 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 0 बीघा 3 बिस्वा को देखे

सम्वत 2011 से 2014, 2015 से 2018, 2019 से 2022 आदि में पूर्वजों का नाम बहैसियत काश्तकार कॉलम 5 व 6 में दर्ज रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 व 2028 से 2031 में भी कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण सहित कृषिकाल में बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार ननचाशाह पुत्र तोफिकशाह हि. 1/2 कादया, रमजान, चान्दू, इमामुद्दीन पि0 नूरशाह हि0 1/2 कौम फकीर मुसलमान सा. देह खसरा नम्बर 242 रकबा 6 बिस्वा, 360 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 280 रकबा 7 बीघा कुल किता 3 रकबा 9 बीघा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। भूमि माफी में किसी मन्दिर के नाम दर्ज नहीं हैं सुयोग्य अधीनस्थ नयायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य व वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना तनकी नम्बर 1 का जो विवेचन किया वह मनमाना व कानून के विरूद्ध है। उनका यह मानना कि वादीगण द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश नहीं किये कि विवादित भूमि पर उनका अधिकार बनता हो, वादींगण तनकी नम्बर 1 सिद्ध करने में असफल रहे है मानने में अपने विवेक व क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल किया है जो निरस्त किया जाकर तनकी संख्या 1 वादीगण/अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक बिन्दु को समझे बिना ही प्रश्नाधीन निर्णय मनामाना पारित किया है। कानूनन जागीर की भूमि जो जागीरदार, बिस्वेदार के खुदकाश्त की थी उन पर तत्कालीन प्रचलित कानून लैण्ड रिमफार्मस एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 15 पर "माफी" एक जागीर का प्रकार है। सभी जागीर इस अधिनियम की धारा 21 व 22 अनुसार पुनर्ग्रहित हो कर सरकार में निहित हो गई। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जो भूमि "खुदकाश्त" थी उस पर जागीरदार, बिस्वेदार आदि को खातेदारी अधिकार स्वतः बाई ऑपरेशन ला जागीरदार, बिस्वेदार को प्राप्त हो गये। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में भूमि वादग्रस्त कभी भी माफी मन्दिर भोमिया जी विराजमान सा. देह के कब्जे काश्त व खातेदारी की नहीं रही इस अहम कानूनी बिन्दु का नजरअन्दाज कर पारित प्रश्नाधीन निर्णय विरूद्ध कानूनी होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 का विवेचन भी गलत व मनमाने तरीके से उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को देखे व समझे बिना किया है। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे प्रमाणित होता हो कि भूमि वादग्रस्त हाल भू–प्रबन्ध सम्वत 2037 से पूर्व माफी मन्दिर भोमिया जी विराजमान सा. देह हो। भू–प्रबन्ध विभाग को रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की भूमि को सक्षम अधिकारी के निर्णय, डिक्री के अभाव में नये व्यक्ति या माफी मन्दिर भोमिया जी के नाम अंकन करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। दौराने भू–प्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण/अपीलान्टस के पूर्वजों की जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 में दर्ज खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर भूमि को माफी मन्दिर भोमिया जी का जो अंकन किया है वह वादीगण/अपीलान्ट्स के हितों के विरूद्ध प्रारम्भ से शून्य प्रभावी है। इस अहम कानूनी बिन्दू के प्रतिकूल तनकी संख्या 2 का अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 3 पर भी कानून

है। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रमाणित हो कि भूमि वादग्रस्त माफी मन्दिर भोमिया जी के खातेदारी की भूमि हो। इसलिए तनकी नम्बर 4 पर अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन निरस्त किया जाकर वादीगण/अपीलान्टस के पक्ष में निर्णित किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 5 अनतोष भी गलत व कानून विरूद्ध दिया है जो निरस्त किया जा कर वादीगण/अपीलान्ट्स का अपील/वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 व 2028 से 2031 में दर्ज खसरा नम्बर 242, 260, 280 के नवीन खसरा नम्बर 377, 378, 379, 380, 415 कुल किता 5 रकबा 2.38 हैक्टै0 बनना मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। उक्त जमाबन्दियों में भूमि वादगस्त माफी मन्दिर भोमिया जी विराजमान सा. देह न होकर अपीलान्ट्स/वादीगण के हकपूर्वाधिकारी (पूर्वज) के नाम अंकित होते हुए भी अधीनस्थ नयायालय ने कानून विरूद्ध माफी मन्दिर भोमिया जी की भूमि होना व खातेदारी की भूमि मानने में अहम गलती की है जो निरस्तनीय है। ऐसा मन्दिर ग्राम में नहीं है। अपीलान्ट ट्रक ड्राईवर है तथा प्राईवेट कम्पनी का ट्रक चलाकर अपना व परिवार का जीवनोपार्जन करता है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2017 की अपीलान्ट को जानकारी होने पर दिनांक 04.10.2017 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल दिनांक 05.10.2017 को प्राप्त की व जयपुर आकर दिनांक 03.11.2017 को वकील शिवसिंह चौधरी से सम्पर्क किया जिस पर उन्होनें दस्तावेज जांच कर जानकारी दी कि जो नकल अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जयपुर से प्राप्त की है उसमें मात्र निर्णय की ही प्रतिलिपि है। डिक्री की नहीं तथा अपील निर्णय एवं डिक्री की होती है। अपील करने के लिए डिक्री की नकल आवश्यक है। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 06.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष डिक्री नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनांक 08.11.2017 को तैयार होने पर प्राप्त कर अपील अपीलान्ट द्वारा डिक्री प्राप्त करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी ने अपील मीमों के साथ अलग से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली दिनांक 06.09.2017 खारिज किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 377, 378, 379, 380 व 415 कुल किता 5 रकबा 2.38 हैक्टै0 वाके ग्राम अमाई, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर का वादीगण/अपीलान्ट्स को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया

कोई अधिकार नहीं है तथा उन्हें सिर्फ पूर्ववर्ती खातेदारी की प्रविष्टियों को मात्र दोहराये जाने का अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व खसरा गिरदावरी अधिकार अभिलेख की श्रेणी में आती है तथा गिरदावरी सम्वत् 2011–2014, 2015–2018 आदि में वादी अपीलान्ट् के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी में सम्वत् 2025–2028 एवं 2029–2032 में भी वादीगण का नाम दर्ज है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140 अनुसार अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि सही मानी जावेगी जब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया गया हो। माफी जागीर एक्ट की अनुसूची प्रथम के आईटम 15 के अनुसार जागीर है तथा इसी अधिनियम की धारा 10 के अनुसार खुद काश्त जागीरदार अथवा माफीदार ही खातेदार होगें। अन्यथा धारा 21 के अनुसार जागीर उन्मूलन के पश्चात् काश्त के आधार पर काश्तकार अथवा जागीरदार खातेदार होंगे। समस्त दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह अवैध है एवं खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1969 आर.आर.डी 231, 2018 (1) आर.आर. टी 292, 2013 (1) आर.आर.टी. 391, 2008 (1) आर.आर.टी. 151, 2010 (1) आर.आर.टी. 244, 2011 (1) आर.आर.टी. 174 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार विवेचन उपरान्त पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत् नाबालिग है तथा इसकी सुरक्षा एवं अन्य दायित्व राज्य सरकार का है इसलिए अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से वह खारिज किये जाने योग्य है।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण अपीलान्ट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती यह कथन करते हुए पेश किया गया था कि वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार रहे हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2028–2031 तक वादीगण बतौर खातेदार दर्ज रहे हैं परन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान बिना किसी हक अधिकार के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के बुजुर्गान का नाम हजफ कर माफी मन्दिर के नाम उक्त आराजी दर्ज कर दी गई जो कि प्रभाव शून्य है एवं वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। प्रकरण में पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 4 तनकीया कायम की गई। तनकीवार विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर 1– "आया आराजी मुतदाविया के पूर्व काश्तकार खातेदार वादीगण के बुजुर्गान थे और वादीगण राजस्व रिकॉर्ड से माफी मन्दिर भोमिया जी का नाम हटवाकर खातेदारी घोषित होने के अधिकारी है।"

प्रकार माफी मन्दिर की भूमि के खातेदारी अधिकार किसी को नहीं दिये जा सकते हैं। वादीगण द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश नहीं किये कि विवादित भूमि पर उनका अधिकार बनता हो। वादीगण द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश नहीं किये कि विवादित भूमि पर उनका बनता हो। वादीगण पूर्णतया तनकी नम्बर–1 सिद्ध करने में असफल रहा है।"

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 5 मिसल हकीयत बन्दोबस्त में वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 150, 158, 177, 149 कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा नूरशाह व ननचाशाह पिसरान् तौफीक शाह दो तिहाई व पन्नी बेवा भूरा एक तिहाई कौम फकीर मुसलमान की खुद काश्त दर्ज है। इसके पश्चात् दस्तावेज प्रदर्श 4 खेवट मौजा अमाई निजामत कोटपूतली में उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 260, 242 व 280 अंकित कर नाम थोक या पट्टी मय नाम नम्बरदार के खाते में माफी तथा नाम बिस्वेदार या अतियदार मय अहवाल के खाते में ननचाशाह वल्द तौफीक शाह हिस्सा 1/2 कादया, रमजान, चानू, इमामुद्दीन पिता नूरदीन हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 नाम काश्तकार मय अहवाल में खुद काबिज व सूरजमल, बनवारी पिता रामस्वरूप दर्ज किया हुआ है। इसके पश्चात् प्रदर्श–11 जमाबन्दी में सम्वत् 2025–28 में कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण सहित में ननचाशाह पुत्र तौफीक हिस्से 1/2 कादया, रमजान, चान्दू, इमामुद्दीन पिता नूरशाह हिस्सा 1/2 कौम फकीर दर्ज है इसी प्रकार प्रदर्श 10 जमाबन्दी 2028–31 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में यही प्रविष्टि अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल अनुसार वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 377 ल0 380 व 415 बने हैं। उक्त खसरा नम्बरान् जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2037–2056 में कृषक के कॉलम संख्या 4 में माफी मन्दिर श्री भौमिया जी महाराज विराजमान खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त परिवर्तन किन आदेशों के तहत किया गया है, इस संबंध में पैरोकार सरकार द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि वादग्रस्त भूमि सम्वत् 2005 से मूल रूप से माफी की खातेदारी में दर्ज रही है तथा सम्वत् 2037–56 में भी माफी मन्दिर के नाम चली आ रही है, तनकी संख्या 1 को वादीगण के पक्ष में तय किया गया है जबकि यह स्पष्ट है कि खेवट खतौनी सम्वत् 2005 में भूमि माफी की खातेदारी में नहीं होकर माफी की जागीर में स्थित थी तथा उसके बिस्वेदार वादीगण के पूर्वज थे तथा वे खुद काबिज थे। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011–14 में खसरा संख्या 242 रमजान खां पुत्र नूरखां मुसलमान की खातेदारी में दर्ज है तथा सम्वत् 2011–14 तक उसकी काश्त दर्ज है। खसरा संख्या 260 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में भी कॉलम संख्या 5 जागीर भूमि अधिकारी में बशरह खसरा नम्बर 242 अंकित है तथा कॉलम संख्या 6 कृषक में भी मकबूजा साबिक दर्ज है। विशेष विवरण में उक्त भूमि गैर मुमकिन स्थान भोमिया जी दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 377 लगायत 380 वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है तथा खसरा नम्बर 415 वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी

तनकी नम्बर 2– "आया मौके पर ना कोई मन्दिर भौमियां है ना आराजी कभी माफी मन्दिर की रही है, राजस्व रिकॉर्ड में माफी मन्दिर भोमिया का इन्द्राज गलत हुआ है, जो नल एण्ड वोईड तथा वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है।"

–वादीगण–

इस तनकी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन है कि "तनकी नम्बर 2 का भार वादीगण पर है। वादीगण का यह कथन कि भूमि मन्दिर माफी की कभी भी नहीं रही है। बिल्कुल गलत है, तथा मौके पर मन्दिर नहीं होना यह भी बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट प्रतिवादी सरकार पैरोकार तहसीलदार कोटपूतली ने अपनी रिपोर्ट में धार्मिक स्थल बना होना स्पष्ट किया है एवं भूमि कदीमी अर्सो से मांफी मन्दिर की होना जैसा तनकी नम्बर 1 विवेचन किया है उससे बखूबी प्रमाणित है। इस प्रकार वादीगण तनकी नम्बर 2 को भी सिद्ध करने में असफल रहे हैं।"

उक्त विवेचन तनकी संख्या 1 में किये गये विवेचन अनुसार खसरा नम्बर 415 रकबा 0.41 हैक्टै0 के संबंध में तनकी संख्या 2 पर पारित अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष उचित है परन्तु अन्य खसरा नम्बर 377 लगायत 380 के संबंध में उक्त निष्कर्ष सही नहीं होने से तथा उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने से इन खसरा नम्बरान के संबंध में तनकी संख्या 2 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है। भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी हक हकूकों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार निहित नहीं है।

तनकी नम्बर 3– "आया वादीगण अपने बुजुर्गो के फुट स्टेप से आराजी मुतदाविया पर ताहाल काबिज काश्त है।"

–वादीगण–

इस तनकी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन है कि "तनकी नम्बर 3 का भार वादीगण पर है। उक्त विवादित भूमि कदीमी अर्सो से मूल रूप से माफी मन्दिर की रही है। काश्त व्यवस्था देखरेख आदि हेतु वादी को दी गई हो, तो उससे वादीगण का कोई वैधानिक कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए वादीगण का उनके बुजुर्गान के समय से आराजी पर फुट स्टेप पर आना सिद्ध नहीं होता है। वादीगण तनकी संख्या 3 को भी वादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं।"

तनकी संख्या 3 पर अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष खसरा संख्या 415 की भूमि के अलावा दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है हालांकि खसरा संख्या 415 की भूमि भी वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में थी परन्तु उसकी किस्म गैर मुमकिन होने से तथा गिरदावरी सम्वत् 2011–14 में विशेष विवरण गैर मुमकिन स्थान भौमियाजी अंकित होने से उक्त भूमि पर वादीगंण को खातेदार नहीं माना जा सकता है। भूमि खसरा संख्या 377 ल0 380 रकबा 1.97 हैक्टै0 पर वादीगण अपने बुजुर्गान के फुटस्टेप से काबिज

अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष उपर्युक्त तनकियों में किये गये विवेचन अनुसार बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर की खातेदारी में नहीं होकर वादीगंण के बुजुर्गान की खातेदारी में सम्वत् 2037 तक दर्ज रही है तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त प्रविष्टि को बिना किसी सक्षम अधिकारिता के परिवर्तन किया गया है जो कि अपीलान्ट्स वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से बखूबी साबित है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 415 जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है, वादीगण की खातेदारी में दर्ज अवश्य रही है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय वह वादीगण के बुजुर्गान की काश्त में नहीं होकर गैर मुमकिन स्थान भौमियाजी के रूप में रही है अतः खसरा नम्बर 415 के संबंध में तनकी नम्बर 4 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 377 ल0 380 के संबंध में इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकी नम्बर 5– अनुतोष।

उपर्युक्त तनकीवार विवेचन उपरान्त यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 377 लगायत 380 रकबा 1.97 हैक्टै0 के संबंध में अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है तथा खसरा संख्या 415 के संबंध में वे अपने वाद को साबित नहीं कर पाये हैं अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है तथा अपीलान्ट्स वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06–09–2017 को खसरा संख्या 377 लगायत 380 के संबंध में निरस्त किया जाकर वादीगण अपीलान्ट्स को खसरा संख्या 377 रकबा 0.32 हैक्टै0, 378 रकबा 0.01 हैक्टै0, 379 रकबा 0.52 हैक्टै0 तथा खसरा नम्बर 380 रकबा 1.12 हैक्टै0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.97 हैक्टै0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खसरा नम्बर 415 रकबा 0.41 हैक्टै0 के संबंध में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 29–06–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर